

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

आज दिनांक 25 जनवरी, 2006 को मध्याह्न 12.00 बजे कार्य परिषद् की बैठक सेन्टर फार एकेडमिक्स में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री

1. प्रो० एस०एस० कटियार
2. प्रो० आभा अवस्थी
3. डॉ० मुकुल चन्द्र पाण्डेय
4. डॉ० कृष्णवीर सिंह कौशल
5. डॉ० पौ० के० माधुर
6. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव
7. प्रो० एल०सी०मिश्रा,
8. डॉ० भोला सिंह
9. डॉ० एस०के० कटियार
10. डॉ० रामानन्द प्रसाद
11. डॉ० के०के० बहल
12. श्री विजय जायसवाल
13. डॉ० ए०के०कपूर
14. डॉ० वौ०दी० सेमयाल
15. श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा
16. श्री मदेश चन्द्र

कुलपति, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	अध्यक्ष
ए-१ सेक्टर-३, अर्नांगज, लखनऊ	सदस्य
353, विवेणी नगर, लखनऊ	सदस्य
140, नार्थ हॉटेल शान्तोरा (गुलिस लाईन के निकट), लखनऊ	सदस्य
अधिकारी, विज्ञान विभाग, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सदस्य
अधिकारी, व्यवस्था प्रबंध संस्थान स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सदस्य
आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सदस्य
प्राचार्य, डॉ०एन० कालेज, फेलगढ़	सदस्य
प्राचार्य, जी०एस०र्द०ए०म० मेडिकल, कानपुर	सदस्य
प्राचार्य, मदाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हन्दोड़	सदस्य
उपाचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सदस्य
प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सदस्य
भौतिक विज्ञान विभाग व००एस०एस०ड०० कालेज, कानपुर	सदस्य
उपर्युक्त विज्ञान विभाग, डॉ०ए०व०० कालेज, कानपुर	सदस्य
वित्तीयकारी, स००एस०जे०एस०,वि०वि०, कानपुर	प्रदेन सदस्य
कुलपति, स००एस०जे०एस०,वि०वि०,कानपुर	सचिव

कार्य विवरण -

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुये उन्हें नववर्ष की बधाई दी। माननीय कुलपति जी ने विश्वविद्यालय कार्यपरिषद में महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य डॉ० कृष्णवीर सिंह कौशल को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुये कार्यपरिषद से उनका परिचय कराया। कार्यपरिषद ने माननीय कुलपति जी को राष्ट्रीय विज्ञान कार्यालय के अधिवेशन में उन्हे उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से विभूषित किये जाने, एसोसियेशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के उपाध्यक्ष चुने जाने तथा डॉ० राम मनोहर शीहिया विधि संस्थान, लखनऊ में निदेशक नियुक्त होने पर बधाई देते हुये नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उपस्थित समस्त सदस्यों ने माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय में कराये जा रहे विकास कार्यों तथा एकेडमिक एक्सीलेन्सी की दिशा में किये जा रहे कार्यों एवं विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।

कार्यपरिषद द्वारा विचारणीय मदों पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

1. कार्यपरिषद की सम्पन्न विगत बैठक दिनांक 21.09.2005 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत कार्यपरिषद की सम्पन्न विगत बैठक दिनांक 21.09.2005 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन से अवगत होते हुये कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से उसके कार्यवृत्त का सम्पुष्टिकरण करने का निर्णय लिया गया।

2. भवन निर्माण समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 20.01.2006 में लिये गये विषयों के अनुमोदन पर विचार।

कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत भवन निर्माण समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 20.01.2006 में लिये गये निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

3. वित्त समिति की सम्पन्न विशेष बैठक दिनांक 23.01.2006 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत वित्त समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 23.01.2006 में लिये गये निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। विन अधिकारी द्वारा 731 र्मार्ग आपत्तियों को निरसनग्रहीत करने हेतु कार्यपरिषद ने उनका प्रशंसा की।

4. शोध उपाधि हेतु मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 18.10.2005 तुवं दिनांक 30.12.2005 के अनुमोदन पर विचार।

शोध उपाधि हेतु मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत योग्य घोषित 22 शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने तथा मौखिक परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त डा० रजनीश पाण्डेय को डी०लिट उपाधि हेतु तथा कुमारी पद्मा यादव को पी०एच-डा० उपाधि हेतु अनेह पाये जाने के कारण शोध ग्रन्थ निरस्त किये जाने के परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 18.10.2005 का कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित करने निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त योग्य घोषित पांगपुँ पानल पर प्रस्तुत 74 शोधार्थियों को शोध उपाधि से अलंकृत करने का परीक्षा समिति के निर्णय दिनांक 30.12.2005 को कार्य परिषद से सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

5. उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या - मु०म०-३२४/सत्तर-१-०५(१४)/९२ टी०री० दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 जो विश्वविद्यालय परिनियम में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख में संशोधन प्रस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ह पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम में यथास्थान संशोधन प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

6. विश्वविद्यालय के केन्द्रीय अनुसंधान परिनियम में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख में संशोधन प्रस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ह पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम में यथास्थान संशोधन प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालय में केन्द्रीय अनुसंधान परिनियम में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख में संशोधन प्रस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ह पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम में यथास्थान संशोधन प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

1. सुश्री प्रगति सिंहानिया
प्रतीक्षा सूची
अनुसूचित जाति

2. श्री रामनरेश इन्द्रेनिया
श्री शिंगंग द्वारा
अनुसूचित जाति
सामाजिक

कार्यपरिषद द्वारा चयन समिति के उपरोक्त संस्तुति का सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

7. नवीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का अनुसमर्थन।

नवीन सशर्त सम्बद्धता प्राप्त 52 महाविद्यालयों की सूची तथा नवीन सम्बद्धता प्राप्त 41 महाविद्यालयों की सूची कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत किया गया जिसमें अवलोकनोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा उसे अनुसमर्थन करने का निर्णय लिया गया।

8. सम्बद्धता से सम्बन्धित मानक न पूरा करने वाले महाविद्यालयों (i) सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर, कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम) (ii) शहीद भगत सिंह महाविद्यालय बिटूर कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम) (iii) डी05स0अवस्थी महाविद्यालय बर्फ कानपुर (iv) अभिनव सेवा संस्थान महाविद्यालय राजीवपुरम कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम) की ३०प्र० राज्य विश्वविद्यालय आधिनियम 1973 की धारा 37(8) के अधीन कार्यवाही किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं की जाँच हेतु कुछ महाविद्यालयों की जाँच हेतु आकस्मिक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण ठन में कुछ महाविद्यालयों में अवस्थापना सम्बन्धी अनेक प्रकार की कार्यों पार्या। कार्यपरिषद पटल पर प्रस्तुत अवस्थापना सम्बन्धी वर्णित कार्यों के बारे कार्यपरिषद द्वारा ३०प्र० गत्य विश्वविद्यालय आधिनियम 1973 की धारा 37(8) के अन्तर्गत सर्वसम्मति निम्नलिखित महाविद्यालयों की सम्बद्धता वापरी हेतु महाराष्ट्रम कुलाधिपति जा मे अनुशंसा करने का निर्णय लिया।

(i) सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर, कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम)

(ii) शहीद भगत सिंह महाविद्यालय बिटूर कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम)

(iii) डी05स0अवस्थी महाविद्यालय बर्फ कानपुर

(iv) अभिनव सेवा संस्थान महाविद्यालय राजीवपुरम कानपुर (बी05ड0 पाठ्यक्रम)

9.(i) विश्वविद्यालय परिसर में अवैध निर्माण करने वाले कर्मचारियों पर आर्थिक दण्ड लगाने पर विचार।

अधिक महोदय की अनुमति से कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया गया विश्वविद्यालय में निर्मित आवार्साय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों द्वारा आवंटन अदेश में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है।

कार्यपरिषद द्वारा उक्त प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक लेते हुये विश्वविद्यालय परिसर में अवैध निर्माण को निवारित करने हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1. अवैध कञ्जाधारी अथवा अवैध निर्माण करने वाले वर्तुर्ध श्रेणी कर्मचारियों से रुपये 500/- प्रति कमरा की दर से न्यूनतम रुपये 500/- प्रतिमाह तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से रुपये 750/- प्रतिकमरा की दर से न्यूनतम रुपये 1000/- प्रतिमाह की दर से अवैध निर्माण की तिथि से आर्थिक दण्ड लगाया जाय।

2. दो माह तक यदि सर्वान्वित कर्मचारी द्वारा अवैध निर्माण या अवैध कञ्जा नहीं उतारा जाता है तो उसका अवंटन आवंटन निरस्त कर दिया जाय।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

२७/०१/०६
प्रो० इस० इस० कटियार
उ० व० / कलार्पि

hug
27/01/06
(महेश चन्द्र)
गोप्य / कृष्णगोप्य